प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।

राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए गए व्यय की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2012 – 13 के दौरान नमूना – लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये थे तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में तो आये थे परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2012 – 13 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक समझे गए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।